<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>23.06.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 20.06.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कोल्हापुर, सूरत, अहमदनगर और पुणे में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई विनोद तुकाराम खुटे, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा संचालित वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज नामक फर्जी पोंजी/मल्टी लेवल मार्केटिंग योजनाओं/अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में की गई। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, करोड़ों की अचल संपत्ति का विवरण, डिजिटल डिवाइस और बैंक फंड जब्त/फ्रीज किए गए।

ईडी ने पुणे के भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन द्वारा विनोद खुटे, संतोष खुटे, मंगेश खुटे, किरण पीताम्बर अनारसे, अजिंक्य बडाधे और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें पोंजी/मल्टी लेवल मार्केटिंग योजनाओं और विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों के नाम पर आम लोगों को अत्यधिक रिटर्न का वादा करके ठगने/धोखा देने और 100 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र करने का आरोप लगाया गया।

दुबई में रहने वाला विनोद खुटे, वीआईपीएस ग्रुप ऑफ़ कंपनीज, मेसर्स ग्लोबल एफिलिएट बिज़नेस, मेसर्स काना कैपिटल, रियल गोल्ड कैपिटल आदि के माध्यम से विभिन्न अवैध मल्टी-लेवल मार्केटिंग और पोंजी योजनाओं, अवैध व्यापार, क्रिप्टो एक्सचेंज, वॉलेट सेवाओं का मास्टरमाइंड है।

विनोद खुटे के सहयोगियों पर तलाशी अभियान चलाया गया, जो आम जनता को फर्जी/अवैध योजनाओं/अवैध व्यापार और विनोद खुटे की गतिविधियों में निवेश करने के लिए लुभाने और लालच देने में शामिल थे। विभिन्न फर्जी/छद्म संस्थाओं के माध्यम से एकत्र किए गए धन को स्तरित किया गया और अंततः नकदी के माध्यम से निकाला गया और क्रिप्टो/वर्चुअल परिसंपत्तियों में रूपांतरण या हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई ले जाया गया।

ईडी ने इस मामले में पहले भी तलाशी अभियान चलाया है और अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप विनोद खुटे और उनके रिश्तेदारों/सहयोगियों की भारत और दुबई में **75.42 करोड़ रुपये** की विभिन्न बैंक बैलेंस, चल संपत्ति, अचल संपत्तियों को कुर्क/फ्रीज किया गया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

****